इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 24 जनवरी 2013—माघ 4, शक 1934

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2013

एफ 2 (अ)110-2010-बी-4-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगर सेना तृतीय-श्रेणी (कार्यपालिक) भरती नियम, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में—

1. नियम 6 में, उपनियम (7) में,—

(एक) खण्ड (तीन) में उपखण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ग) गोला फेंक (शॉट पुट) 20 अंक."

(दो) खण्ड (चार) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(चार) **साक्षात्कार**—साक्षात्कार में 20 अंक होंगे."

(तीन) खण्ड (चार) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"(पॉच) **बोनस अंक**—राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन. सी. सी.) का "सी" प्रमाण-पत्र धारण करने वाले या होमगार्ड संगठन के किसी पद पर होमगार्ड प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने वाले अभ्यर्थियों को 5 बोनस अंक प्रदान किए जाएंगे."

2. नियम 8 में, उपनियम (1) में,—

(एक) खण्ड (घ) में उपखण्ड (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(एक) सामान्य प्रवर्ग के ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो मध्यप्रदेश सरकार का स्थायी सेवक हो, और जो किसी अन्य पद के लिए आवेदन करता है, उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उच्चतर आयु सीमा 45 वर्ष होगी.''.

(दो) खण्ड (घ) में, उपखण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(दो) सामान्य प्रवर्ग के किसी ऐसे अभ्यर्थी के मामले में, जो मध्यप्रदेश सरकार का अस्थायी शासकीय सेवक हो या जो किसी राज्य निगम/मण्डल/स्वशासी निकाय का कर्मचारी हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उच्चतर आयु सीमा 45 वर्ष होगी.''.

(तीन) खण्ड (ञ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(ञ) नगर सेना (होमगार्ड्स) के स्वयं सेवी नगर सैनिकों तथा नान कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा की गई 8 वर्ष तक की सेवा की कालावधि के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिल की जाएगी किन्तु किसी भी दशा में सामान्य प्रवर्ग के लिए उच्चतर आयु 40 वर्ष और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी.''.

3. नियम 9 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''9. **निरर्हता.**—कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किन्हीं भी परिस्थितियों में से किसी भी परिस्थिति में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता, साक्षात्कार अथवा नियुक्ति के लिए निरर्ह हो जाएगा:—

(एक) यदि उसने प्रतिरूपण किया है या किसी अन्य से प्रतिरूपण कराया है, परीक्षा के लिए निरर्ह घोषित कर दिया जाएगा.

(दो) कोई ऐसा पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हों, इसी प्रकार महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह कर लिया हो जिसकी एक जीवित पत्नि हो, निरर्हित होंगे.

(तीन) कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह कर लिया हो तथा महिला अभ्यर्थी जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पूर्व विवाह कर लिया हो, निरर्हित होगा/होगी.

(चार) कोई अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है, निरर्हित होगा किन्तु वह निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतानों का जन्म होता है.

(पांच) कोई अभ्यर्थी, जिसे न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया है या महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, किसी सेवा या पद के लिए अर्हित नहीं होगा किन्तु ऐसे अभ्यर्थी के मामले में, जिसके विरुद्ध मामला न्यायालय में लंबित है, उसकी नियुक्ति का विनिश्चय आपराधिक मामले में अंतिम निर्णय तक लंबित रखा जाएगा.

(छह) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों द्वारा समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निरर्हता माना जा सकेगा.

(सात) यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक या मानसिक रूप से अनुपयुक्त है, तो वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा.

(आठ) यदि कोई अभ्यर्थी, चयन के पूर्व प्रस्तुत आवेदन में वास्तविक जानकारी छिपाता है या झूठी जानकारी देता है या उसके किसी कालम या उसके भाग को खाली छोड़ता है या चयन के उपरांत विभाग द्वारा अभ्यर्थी से भरवाए जाने वाले अनुप्रमाणन प्ररूप में, उसकी जन्मतिथि, शैक्षणिक अर्हता, जाति या जाति प्रमाण-पत्र, नगर सैनिक के रूप में की गई सेवा अवधि से संबंधित भरे गए ब्यौरे या उच्चतर आयु सीमा में छूट प्राप्त करने के लिए स्वयंसेवी नगर सैनिक या नान कमिशन्ड अधिकारियों के रूप में नगर सेना में की गई सेवा अवधि या सेवा अवधि के प्रमाण-पत्र के ब्यौरे या भूतपूर्व सैनिक की दशा में उच्चतर आयु सीमा में छूट प्राप्त करने के लिए सशस्त्र बलों में की गई सेवा अवधि या सेवा अवधि के प्रमाण-पत्र में या परिवार नियोजन योजना के अधीन शल्य चिकित्सा या ग्रीन कार्ड प्रमाण-पत्र, अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से संबंधित पुरस्कार या उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए उसका प्रमाण-पत्र, विक्रम अवार्ड या उसके प्रमाण-पत्र में, उसके विवाह या उसकी तारीख से संबंधित विवरण, बच्चों की संख्या या जन्मतिथि के बारे में कोई वास्तविक जानकारी छिपाता है या चयन प्रक्रिया के किसी भी प्रक्रम पर कोई कूटरचित या बदला हुआ दस्तावेज प्रस्तुत करना है, तो उसका नाम चयन सूची से हटा दिया जाएगा तथा वह नियुक्ति के लिए निरर्हित घोषित कर दिया जाएगा.

(नौ) यदि कोई अभ्यर्थी अनुप्रमाणन प्ररूप में कोई वास्तविक जानकारी छिपाता है या गलत विवरण लिखता है या उसके कालम 12 को या उसके किसी भाग को, जो विभाग द्वारा अभ्यर्थी से चयन के पश्चात् प्राप्त किया जाता है, रिक्त छोड़ता है तो मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांत इस पैरामीटर (प्राचल) पर पात्रता को अंतिम रूप से अवधारित करेंगे तथा अभ्यर्थी निरर्हित होगा.''.

4. नियम 11 में,—

(एक) उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''परन्तु महिलाओं के लिए यह 30 प्रतिशत आरक्षण क्षैतिज (हारीजेन्टल) और कम्पार्टमेन्ट अनुसार होगा.''.

(दो) उपनियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम जोड़ा जाए, अर्थात्:—

''(7) मध्यप्रदेश भूतपूर्व सैनिकों (राज्य सिविल सेवाओं तथा तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी पदों में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1985 के अनुसार 10 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे. यह आरक्षण क्षैतिज (हारीजेन्टल) और कम्पार्टमेन्ट अनुसार होगा. यदि 10 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक मैरिट के आधार पर चयन सूची में स्थान प्राप्त कर लेते हैं, तो आगे और आरक्षण नहीं दिया जाएगा.''.

5. अनुसूची एक के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''अनुसूची—एक

(नियम 5 देखिए)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनुक्रमांक (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	पदों की संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वेतनमान (5)	अभ्युक्तियां (6)
1.	(1) सेंटर/कंपनी कमाण्डर	66	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	9300-34800+ग्रेड पे रुपए 3600/-	
	(2) असिस्टेंट क्वार्टर मास्टर	01			
	(3) प्रशासनिक अधिकारी	01			
	(4) स्टोर आफिसर	01			
		69			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	(1) प्लाटून कमाण्डर	39	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	5200-20200+ग्रेड पे रुपए 2800/-	
	(2) सीनियर इन्स्ट्रक्टर	33			
	(3) डिप्टी स्टोर आफिसर	01			
	(4) क्वार्टर मास्टर	33			
	(5) डिस्ट्रिक्ट कमाडेन्ट के सहायक	33			
		139			
3.	(1) सहायक उप-निरीक्षक	43	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	5200-20200+ग्रेड पे रुपए 2400/-	
4.	(1) हवलदार अनुदेशक	61	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	5200-20200+ग्रेड पे रुपए 2100/-	
	(2) हवलदार स्टोरमेन	47			
	(3) कंपनी हवलदार मेजर	01			
	(4) हवलदार क्वार्टर गार्ड	01			
	(5) नायक क्वार्टर गार्ड	02			
	(6) लांस नायक क्वार्टर गार्ड	01			
	(7) हवलदार पाइप बैण्ड	01			
	(8) नायक पाइप बैण्ड	02			
	(9) लांस नायक पाइप बैण्ड	02			
		118			
5.	(1) आरक्षक	71	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	5200-20200+ग्रेड पे रुपए 1900/-	
	(2) सिपाही क्वार्टर गार्ड	07			
	(3) सिपाही बैण्ड	11			
	(4) सिपाही चौकीदार	05			
	(5) सिपाही धोबी	04			
	(6) सिपाही ड्रेसर	01			
	(7) सिपाही बिगुलर	02			
	(8) सिपाही कारपेन्टर	01			
	(9) सिपाही मोची	01			
	(10) सिपाही कुक	04			
	(11) सिपाही (पनभरा)	04			
	(12) सिपाही नाई	03			
	(13) सिपाही टेलर	01			
		115			
6.	कम्पाउंडर	01	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	5200-20200+ग्रेड पे रुपए 1900/-.''.	

6. अनुसूची-तीन में, कालम (5) में विहित शैक्षणिक अर्हताओं के अधीन निम्नलिखित शब्द विलोपित किए जाएं, अर्थात् :—

"एन.सी.सी. या होमगार्ड प्रशिक्षण प्राप्त हो.".

7. अनुसूची छह के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"अनुसूची—छह

[नियम 6 का उपनियम (7) देखिए]

1. **लम्बी कूद (तीन प्रयास)—20 अंक**

पुरुष अभ्यर्थी			महिला अभ्यर्थी			भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी		
फीट	मीटर	अंक	फीट	मीटर	अंक	फीट	मीटर	अंक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	3.66	0	8	2.44	0	10	3.05	0
14	4.27	4	10	3.05	4	12	3.66	4
16	4.88	8	12	3.66	8	14	4.27	8
17	5.18	12	13	3.96	12	16	4.88	12
18	5.49	16	14	4.27	16	17	5.18	16
19	5.79	20	15	4.57	20	18	5.19	20

2. **ऊंची कूद (तीन प्रयास)—20 अंक**

पुरुष अभ्यर्थी			महिला अभ्यर्थी			भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी		
फीट	मीटर	अंक	फीट	मीटर	अंक	फीट	मीटर	अंक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4'0"	1.22	0	3'0"	0.91	0	3'6"	1.07	0
4'2"	1.27	4	3'2"	0.97	4	4'0"	1.22	4
4'4"	1.32	8	3'4"	1.02	8	4'2"	1.27	8
4'6"	1.37	12	3'6"	1.07	12	4'4"	1.32	12
4'8"	1.42	16	3'8"	1.12	16	4'6"	1.37	16
4'10"	1.47	20	3'10"	1.17	20	4'8"	1.42	20

3. **गोला फेंक (तीन प्रयास)—20 अंक**

पुरुष अभ्यर्थी वजन 7.26 कि.ग्रा.		महिला अभ्यर्थी वजन 4.00 कि.ग्रा.		भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी वजन 7.26 कि.ग्रा.	
मीटर	अंक	मीटर	अंक	मीटर	अंक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	0	4	0	3	0
5	4	5	4	4	4
6	8	6	8	5	8
7	12	7	12	6	12
8	16	8	16	7	16
9	20	9	20	8	20

4. **100 मीटर दौड़—20 अंक**

पुरुष अभ्यर्थी		महिला अभ्यर्थी		भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी	
समय सेकेण्ड में	अंक	समय सेकेण्ड में	अंक	समय सेकेण्ड में	अंक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.5	20	14.5	20	13.5	20
13.5	16	15.5	16	14.5	16
14.5	12	16.5	12	15.5	12
15.5	8	17.5	8	16.5	8
16.5	4	18.5	4	17.5	4
20.0	0	22.0	0	21.0	0

5. **1500 मीटर दौड़—20 अंक**

पुरुष अभ्यर्थी		महिला अभ्यर्थी		भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी	
समय मिनट एवं सेकेण्ड में	अंक	समय मिनट एवं सेकेण्ड में	अंक	समय मिनट एवं सेकेण्ड में	अंक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5 मि. 0 से.	20	6 मि. 0 से.	20	5 मि. 30 से.	20
5 मि. 10 से.	16	6 मि. 10 से.	16	5 मि. 40 से	16
5 मि. 20 से.	12	6 मि. 20 से.	12	5 मि. 50 से	12
5 मि. 30 से.	8	6 मि. 30 से.	8	6 मि. 0 से	8
5 मि. 40 से.	4	6 मि. 40 से.	4	6 मि. 10 से	4
5 मि. 50 से. या अधिक	0	6 मि. 50 से. या अधिक	0	6 मि. 20 से या अधिक	0

F-2(A) 110-2010-B-IV-TWO.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Home Guards Class-III (Executive) Recruitment Rules, 2000, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules—

1. In rule 6, in sub-rule(7),—

(i) in clause (iii), for sub-clause (c), the following sub- clause shall be substituted, namely:—

"(C) Shot Put 20 marks.",

(ii) after clause (iv), the following clause shall be substituted, namely:—

"(iv) Interview- Interview shall contain 20 marks".

(iii) after clause (iv), the following clause shall be added, namely:—

"(v) Bonus marks- candidates shall be awarded 5 bonus marks for holding National Cadet Corps "C" Certificate or having successfully completed Home Guards training in any post of Home Guards Organization."

2. In rule 8, in sub-rule (1),—

(i) in caluse (d), for sub-clause (i), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

"(i) The upper age limit of a candidate who is a permanent Government Servant of the Government of Madhya Pradesh and applying for another post shall be 40 years for general category and 45 years for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes category".

(ii) in clause (d), for sub-clause (ii), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

"(ii) The upper age limit of a candidate who is a temporary Government Servant under the Government of Madhya Pradesh or an employee of any State Corporation/Board /Autonomous Body and applying for another post shall be 40 years for general category and 45 years for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes category.".

(iii) for clause (j) the following clause shall be substituted, namely:-

"(j) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and non-commissioned officers of Home Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 years, but in no case their age shall be more than 40 years for general category and 45 years for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes category.".

3. For rule 9, the following rule shall be substituted, namely:—

"9. **Disqualification.**—A candidate shall be disqualified for written examination, physical proficiency test, interview or appointment under any of the following circumstances:—

(i) If he has committed impersonation or got impersonation committed by someone else, shall be declared disqualified from examination.

(ii) Male candidate, who has more than one wife alive, likewise female candidate who has married with a man having one wife alive shall be disqualified.

(iii) Any male candidate who has married before attaining the age of 21 years and any female candidate who has married before attaining the age of 18 years shall be disqualified.

(iv) Any candidate who has more than two children, one of whom is born on or after 26th January 2001, shall be disqualified, but shall not be disqualified if two or more children are born in the next delivery when one child is alive.

(v) Any candidate who has been convicted by the court or has been convicted for any offence against women, shall not be qualified for any service or post. But in the case of any candidate against whom case is pending in the court, then the decision of his appointment shall be kept pending until the final judgment of the criminal case.

(vi) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him.

(vii) If a candidate is unfit physically or mentally, he shall not be entitled for the appointment.

(viii) If a candidate conceals any factual information or gives false information or keeps any column or its part blank in the application form submitted by him before selection or in the attestation form which department gets completed from the candidate after selection, related to his date of birth, educational qualification, caste or caste certificate, description filled up for length of service rendered as Home Guard or certificate for relaxation of upper age limit the Home Guard

volunteers or Non-Commissioned Officers, length of service rendered in Armed Forces or certificate of length of service rendered in Armed Forces for relaxation of upper age limit in case of Ex-servicemen candidate, operation under family planning scheme or Green Card Certificate, award related to promotion of inter-caste marriage or its certificate for relaxation of upper age limit, Vikram Award or its certificate, description related to his marriage or its date, number or date of birth of children, or forged documents or replaced documents or any concealed factual information at any stage of selection process then his name shall be removed from the selection list and he shall be declared to be disqualified for appointment.

(ix) If a candidate conceals any factual information or writes false description or keeps column 12 or its part blank in the attestation form, which department gets completed from the candidate after selection, relating to his accusation of any crime, arrest or his prosecution, then the guidelines issued by Government of Madhya Pradesh, Home Department shall determine the eligibility finally on this parameter and the candidate shall the disqualified.".

4. In rule 11,—

(i) after sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that this 30 percent reservation for women shall be Horizontal and Compartment-wise.".

(ii) after sub-rule (6), the following sub-rule shall be added namely :—

"(7) 10 percent posts shall be reserved for Ex-servicemen candidates according to the Madhya Pradesh Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the State Civil Services and Posts Class-III and Class-IV) Rules, 1985. This reservation shall be Horizontal and Compartment-wise. If 10 percent Ex-servicemen find place in the select list on merit, then the further reservation shall not be given.".

5. For Schedule I, the following Schedule shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE-I
(*See* rule 5)

Classification of Service, Pay Scale and number of posts included in the service

S. No.		Name of the Posts included in the Service	Number of Posts	Classification	Scale of Pay	Remarks
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	(1)	Centre/Company Commander.	66	Class III (Executive)	9300—34800+Grade Pay Rs. 3600/-	
	(2)	Assistant Quarter Master	01			
	(3)	Administrative Officer	01			
	(4)	Store Officer	01			
			69			
2.	(1)	Platoon Commander	39	Class III (Executive)	5200—20200+Grade Pay 2800/-	
	(2)	Senior Instructor	33			
	(3)	Deputy Store Officer	01			

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(4)	Quarter Master	33			
	(5)	Assistant to District Commandant.	33			
			139			
3.	(1)	Assistant Sub-Inspector	43	Class III (Executive)	5200—20200+Grade Pay 2400/-	
4.	(1)	Hawaldar Instructor	61	Class III (Executive)	5200—20200+Grade Pay 2100/-	
	(2)	Hawaldar Storemen	47			
	(3)	Company Hawaldar Major	01			
	(4)	Hawaldar Quarter Guard	01			
	(5)	Nayak Quarter Guard	02			
	(6)	Lance Nayak Quarter Guard.	01			
	(7)	Hawaldar Pipe Band	01			
	(8)	Nayak Pipe Band	02			
	(9)	Lance Nayak Pipe Band	02			
			118			
5.	(1)	Constable	71	Class III (Executive)	5200—20200+Grade Pay 1900/-	
	(2)	Sepoy Quarter Guard	07			
	(3)	Sepoy Band	11			
	(4)	Sepoy Chowkidar	05			
	(5)	Sepoy Dhobi	04			
	(6)	Sepoy Dresser	01			
	(7)	Sepoy Bugler	02			
	(8)	Sepoy Carpenter	01			
	(9)	Sepoy Cobbler	01			
	(10)	Sepoy Cook	04			
	(11)	Water Carrier (Panbhare)	04			
	(12)	Sepoy Barber	03			
	(13)	Sepoy Tailor	01			
			115			
6.		Compounder	01	Class III (Executive)	5200—20200+Grade Pay 1900/-.".	

6. In Schedule-III, in column (5), under the Prescribed Educational Qualifications, the following words shall be deleted, namely:—

"Must be National Cadet Corps or Home Guards trained.".

7. For Schedule VI, the following Schedule shall be substituted, namely:—

"SCHEDULE-VI
[*See* sub-rule (7) of rule 6]

1. **Long Jump (Three Attempts)-20 Marks**

Male Candidates			Female Candidates			Ex-Servicemen Candidates		
Feet (1)	Mtrs. (2)	Marks (3)	Feet (4)	Mtrs. (5)	Marks (6)	Feet (7)	Mtrs. (8)	Marks (9)
12	3.66	0	8	2.44	0	10	3.05	0
14	4.27	4	10	3.05	4	12	3.66	4
16	4.88	8	12	3.66	8	14	4.27	8
17	5.18	12	13	3.96	12	16	4.88	12
18	5.49	16	14	4.27	16	17	5.18	16
19	5.79	20	15	4.57	20	18	5.19	20

2. **High Jump (Three Attempts)-20 Marks**

Male Candidates			Female Candidates			Ex-Servicemen Candidates		
Feet (1)	Mtrs. (2)	Marks (3)	Feet (4)	Mtrs. (5)	Marks (6)	Feet (7)	Mtrs. (8)	Marks (9)
4'0"	1.22	0	3'0"	0.91	0	3'6"	1.07	0
4'2"	1.27	4	3'2"	0.97	4	4'0"	1.22	4
4'4"	1.32	8	3'4"	1.02	8	4'2"	1.27	8
4'6"	1.37	12	3'6"	1.07	12	4'4"	1.32	12
4'8"	1.42	16	3'8"	1.12	16	4'6"	1.37	16
4'10"	1.47	20	2'10"	1.17	20	4'8"	1.42	20

3. **Shot Put (Three Attempts)-20 Marks**

Male Candidates Weight 7.26 Kg.		Female Candidates Weight 4.00 Kg.		Ex-Servicemen Candidates Weight 7.26 Kg.	
Mtrs. (1)	Marks (2)	Mtrs. (3)	Marks (4)	Mtrs. (5)	Marks (6)
4	0	4	0	3	0
5	4	5	4	4	4
6	8	6	8	5	8
7	12	7	12	6	12
8	16	8	16	7	16
9	20	9	20	8	20

4. **100 Metres race-20 Marks**

Male Candidates		Female Candidates		Ex-Servicemen Candidates	
Time in Seconds	Marks	Time in Seconds	Marks	Time in Seconds	Marks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.5	20	14.5	20	13.5	20
13.5	16	15.5	16	14.5	16
14.5	12	16.5	12	15.5	12
15.5	8	17.5	8	16.5	8
16.5	4	18.5	4	17.5	4
20.0	0	22.0	0	21.0	0

5. **1500 Metres race-20 Marks**

Male Candidates		Female Candidates		Ex-Servicemen Candidates	
Time in Minutes and Seconds	Marks	Time in Minutes and Seconds	Marks	Time in Minutes and Seconds	Marks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5m 0s	20	6m 0s	20	5m 30s	20
5m 10s	16	6m 10s	16	5m 40s	16
5m 20s	12	6m 20s	12	5m 50s	12
5m 30s	8	6m 30s	8	6m 0s	8
5m 40s	4	6m 40s	4	6m 10s	4
5m 50s or more	0	6m 50s or more	0	6m 20s or more	0

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय शर्मा, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.